



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2930]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 30, 2018/श्रावण 8, 1940

No. 2930]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 30, 2018/SHRAVANA 8, 1940

गृह मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2018

का.आ. 3716(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 41 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 5 जून, 2018 की अधिसूचना सं. का.आ. 2291 (अ.) में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 2 को निम्नलिखित पैराग्राफ से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"2. सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित किसी अपराध अथवा अपराधों के संबंध में सारणी के स्तंभ (3) के अधीन परिकलित शास्ति की रकम अन्तर्ग्रस्त विदेशी अभिदाय के मूल्य से अधिक नहीं होगी।"

[फा. सं. II/21022/23(088)/2015-एफसीआरए-III(ए)]

संतोष शर्मा, निदेशक (एफसीआरए)

टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में, दिनांक 5 जून, 2018 की अधिसूचना सं. का.आ. 2291(अ) के तहत प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 27th July, 2018

S.O. 3716(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 41 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 2291(E), dated the 5th June, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

In the said notification, for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“2. *The amount of penalty computed under column (3) of the Table in respect of any offence or offences referred to in column (2) thereof shall not be more than the value of the foreign contribution involved.*”

[F. No. II/21022/23(088)/2015-FCRA-III(A)]

SANTOSH SHARMA, Director (FCRA)

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number S.O. 291(E), dated the 5th June, 2018.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2073]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 5, 2018/ज्येष्ठ 15, 1940

No. 2073]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 5, 2018/JYAISTHA 15, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2018

का.आ. 2291(अ).— केन्द्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 41 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 26 अगस्त, 2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 1976 (अ.) और दिनांक 16 जून, 2016 की सं. का. आ 2133 (अ.), का, उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने के लिए लोप किया गया था, एतद्वारा सारणी के स्तम्भ (4) में उल्लिखित अधिकारी को विनिर्दिष्ट करती है जो इस अधिनियम के अधीन किसी अभियोजन को संस्थित करने से पूर्व स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अपराधों का उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय करने पर प्रशमन कर सकेगा, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	अपराध	शास्ति की रकम	प्रशमन के लिए सक्षम अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अधिनियम की धारा 6 के उल्लंघन में किसी प्रकार का आतिथ्य स्वीकार करने पर धारा 35 के अधीन दण्डनीय अपराध	10,000 रु.	अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी अनुभाग का यथा स्थिति, भारसाधक निदेशक अथवा उप-सचिव।
2.	अधिनियम की धारा 7 अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के	1,00,000 रु. अथवा अंतरित	अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी अनुभाग का यथा

क्रम सं.	अपराध	शास्ति की रकम	प्रशसन के लिए सक्षम अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
	उल्लंघन में किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार का विदेशी अभिदाय अन्तरण करने पर धारा 37 के अधीन दण्डनीय अपराध।	ऐसे विदेशी अभिदाय का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।	स्थिति, भारसाधक निदेशक अथवा उप-सचिव।
3.	अधिनियम की धारा 8 के उल्लंघन में प्रशासनिक खर्चों के लिए प्राप्त अभिदाय के पचास प्रतिशत से अधिक विदेशी अभिदाय अदा करने पर धारा 37 के अधीन दण्डनीय अपराध।	1,00,000 रु. अथवा अनुमेय सीमा से अधिक अदा किए गए ऐसे विदेशी अभिदाय का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।	अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी अनुभाग का यथा स्थिति, भारसाधक निदेशक अथवा उप-सचिव।
4.	अधिनियम की धारा 11 के उल्लंघन में विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए धारा 35 के अधीन दण्डनीय अपराध	1,00,000 रु. अथवा प्राप्त विदेशी अभिदाय का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।	अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी अनुभाग का यथा स्थिति, भारसाधक निदेशक अथवा उप-सचिव।
5.	निम्नलिखित के लिए अधिनियम की धारा 17 के साथ पठित धारा 37 के अधीन दण्डनीय अपराध – (क) प्रमाणपत्र मंजूर करने के लिए अपने आवेदन में विनिर्दिष्ट खाते से भिन्न किसी अन्य खाते में विदेशी अभिदाय प्राप्त करना;	1,00,000 रु. अथवा ऐसे खाते में प्राप्त विदेशी अभिदाय का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।	अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी अनुभाग का यथा स्थिति, भारसाधक निदेशक अथवा उप-सचिव।
	(ख) बैंको और प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा विदेशी प्रेषण की निर्धारित रकम अथवा ऐसे प्रेषण के स्रोत तथा प्रेषण के तरीके की सूचना नहीं देना।	1,00,000 रु. अथवा ऐसे खाते में प्राप्त अथवा जमा किए गए विदेशी अभिदाय का 3 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।	अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी अनुभाग का यथा स्थिति, भारसाधक निदेशक अथवा उप-सचिव।
	(ग) विदेशी अभिदाय प्राप्त करने अथवा विदेशी अभिदाय का उपयोग करने के लिए खोले गए खाते अथवा खातों में विदेशी अभिदाय से भिन्न कोई रकम प्राप्त और जमा करना।	1,00,000 रु. अथवा ऐसी जमा का 2 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।	अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी अनुभाग का यथा स्थिति, भारसाधक निदेशक अथवा उप-सचिव।
6.	प्राप्त प्रत्येक विदेशी अभिदाय की रकम और स्रोत जिससे और तरीके जिसमें ऐसा विदेशी अभिदाय प्राप्त हुआ है, की सूचना अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार नहीं देने के लिए धारा 37 के अधीन दण्डनीय अपराध।	1,00,000 रु. अथवा प्रस्तुत नहीं करने की अवधि के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।	अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी अनुभाग का यथा स्थिति, भारसाधक निदेशक अथवा उप-सचिव।
7.	अधिनियम की धारा 19 की अपेक्षा के अनुसार प्राप्त विदेशी अभिदाय का लेखा और रिकार्ड नहीं रखने के लिए धारा 37 के अधीन दण्डनीय अपराध।	1,00,000 रु. अथवा लेखा नहीं रखने की संगत अवधि के दौरान विदेशी अभिदाय का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।	अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी अनुभाग का यथा स्थिति, भारसाधक निदेशक अथवा उप-सचिव।

2. यदि किसी व्यक्ति द्वारा एकाधिक अपराध किये गये हों तो ऐसे अपराधों के लिए प्रशमन की कुल रकम अन्तर्ग्रस्त विदेशी अभिदाय के मूल्य से अधिक नहीं होगी।

[फा. सं. II/21022/23(088)/2015-एफसीआरए- III(ए)]

संतोष शर्मा, निदेशक (एफ.सी.आर.ए.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2018

S.O. 2291(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 41 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Home Affairs numbers S.O. 1976(E), dated the 26th August, 2011 and S.O. 2133(E), dated the 16th June, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby specifies the officer in column (4) of the table, who may, before institution of any prosecution under the Act, compound the offences specified in column (2), on payment of the amount specified in column (3), of the said table, namely:-

TABLE

Sr. No.	Offence	Amount of Penalty	Officer competent for compounding
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Offence punishable under section 35 for accepting any hospitality in contravention of section 6 of the Act.	Rs. 10,000/-	Director, or as the case may be, the Deputy Secretary in-charge of the section responsible for the administration of the Act.
2.	Offence punishable under section 37 for transferring any foreign contribution to any other person in contravention of section 7 of the Act or any rule made thereunder.	Rs. 1,00,000/- or 10% of such transferred foreign contribution, whichever is higher.	Director, or as the case may be, the Deputy Secretary in-charge of the section responsible for the administration of the Act.
3.	Offence punishable under section 37 for defraying of foreign contribution beyond fifty per cent of the contribution received for administrative expenses in contravention of section 8 of the Act.	Rs. 1,00,000/- or 5% of such foreign contribution so defrayed beyond the permissible limit, whichever is higher.	Director, or as the case may be, the Deputy Secretary in-charge of the section responsible for the administration of the Act.
4.	Offence punishable under section 35 for accepting foreign contribution in contravention of section 11 of the Act.	Rs. 1,00,000/- or 10% of the foreign contribution received, whichever is higher.	Director, or as the case may be, the Deputy Secretary in-charge of the section responsible for the administration of the Act.
5.	Offences punishable under section 37 read with section 17 of the Act for-	Rs. 1,00,000/- or 5% of the foreign contribution received in such account, whichever is higher;	Director, or as the case may be, the Deputy Secretary in-charge of the section responsible for the administration of the Act.
	(a) receiving foreign contribution in any account other than specified account in his application for grant of certificate;	.	
	(b) non-reporting the prescribed amount of foreign remittance or source and manner of such remittance by banks and authorised persons.	Rs. 1,00,000/- or 3% of the foreign contribution received or deposited in such account, whichever is higher.	Director, or as the case may be, the Deputy Secretary in-charge of the section responsible for the administration of the Act.
	(c) receiving & depositing any fund other than foreign contribution in the	Rs. 1,00,000/- or 2% of such deposit, whichever is higher	Director, or as the case may be, the Deputy Secretary in-charge of

Sr. No.	Offence	Amount of Penalty	Officer competent for compounding
(1)	(2)	(3)	(4)
	account or accounts opened for receiving foreign contribution or for utilizing the foreign contribution.		the section responsible for the administration of the Act.
6.	Offence punishable under section 37 for non-furnishing of intimation of the amount of each foreign contribution received and the source from which and in the manner in which, such foreign contribution is received as required under section 18 of the Act.	Rs. 1,00,000/- or 5% of the foreign contribution received during the period of non submission, whichever is higher.	Director, or as the case may be, the Deputy Secretary in-charge of the section responsible for the administration of the Act.
7.	Offence punishable under section 37 for not maintaining the account and records of foreign contribution received and manner of its utilisation on required section 19 of the Act.	Rs. 1,00,000/- or 5% of the foreign contribution during the relevant period of non-maintenance of accounts, whichever is higher.	Director, or as the case may be, the Deputy Secretary in-charge of the section responsible for the administration of the Act.

2. In case more than one offence has been committed by a person, the total amount of compounding for such offences shall not be more than the value of the foreign contribution involved.

[F.No.II/21022/23(088)/2015-FCRA-III(A)]
SANTOSH SHARMA, Director (FCRA)